

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, सिरसा।

हिसार बाईपास रोड, सिरसा टेलिफोन नं० 01666-243307

Email:- forest_sirsa@yahoo.com&dfo.sir-hry@nic.in

क्रमांक: 4101
सेवा में

दिनांक: 27-09-2023

Sh. Gobind Pal, Jaswinder Singh S/o Sh. Raghubir Singh,
R/o Goriwala.
M/s Gupta Resort, Goriwala.
Mob No. 94185-96856

विषय: **Diversion of 0.0059 ha. of forest land for access to Gupta resorts along on Goriwala-Ghukanwali Road km. 0 to 1.00 LHS at Village Goriwala, under Forest Division & Distt. Sirsa. (Proposal No- FP/HR/Approach/157037/2022)**

संदर्भ: भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की फाईल संख्या 9-HRB152/2023-CHA दिनांक 25.09.2023

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयांकित केस में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अतः सी०ए० स्कीम अनुसार आप द्वारा जमा करवाई जाने वाली राशि का डिमांड नोट निम्नप्रकार से जारी करते हुए आपको लिखा जाता है कि आप यह राशि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की website www.parivesh.nic.in के माध्यम से अपने केस में चालान जनरेट करके उसमें अंकित लेखा में जमा करवाएं।

Sr. No.	Particular	Amount
1	Net Present Value (NPV)	5651.00
2	Compensatory Afforestation (1-10 Year Maintenance Charges with Barbed Wire Fencing Charges)	154315.00
3	Additional Compensatory Afforestation	0.00
4	Penal Compensatory Afforestation	0.00
5	Catchment Area treatment (Soil & Moisture Conservation Charges) CA+ACA	22295.00
6	Supervisory/Overhead/Miscellaneous Charges	7432.00
7	Penalty for Violation	0.00
8	Additional Charges for Protected Area	0.00
9	Felling Charges	0.00
10	Demarcation Charges	0.00
	G.Total	189693.00

उक्त राशि ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा करवाकर चालान की प्रति इस कार्यालय में भेजें, ताकि पालना रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जा सके। इसके अतिरिक्त जिलाधीश सिरसा से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की अनुपालना में प्रमाण पत्र प्राप्त करके व नियमों की अपडेटिंग की प्रति शीघ्रातिशीघ्र मण्डल कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।

वन मण्डल अधिकारी,
सिरसा
27/9/23

पृ० क्रमांक 4102 दिनांक 27-09-2023

इसकी एक प्रति वन राजिक अधिकारी, डबवाली को भेजकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त साईट का आप स्वयं मौका निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी प्रकार की उल्लंघना होने की स्थिति में एफ०सी०ए० 1980 के तहत कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित करें।

वन मण्डल अधिकारी,
सिरसा
27/9/23